

ज्ञापांक-2719/Tech.

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-11वीं अक्टूबर 2019

सेवा में

आर्या डेबलपर,

नियर होटर शान्ति शिवम,
कॉलेज रोड बिलियमस टाउन,
देवघर।

विषय:- मौजा-श्यामगंज, प्लाट नं०-241, खाता संख्या-22/3342CHA, वार्ड नं०-16, थाना-413, जिला-देवघर में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, देवघर से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक-297, दिनांक-27.09.2019 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित संतोष इनकलेप आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम पच्चास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Fire Service Draw-Out Connection का निर्माण कराया जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में एक ऐसे वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी० लम्बा होजरील होज तथा डिलिवरी आउटलेट का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
8. 900 LPM क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प संस्थापित कराया जाय।
9. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
12. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. प्रस्तावित भवन में एक ऐसी Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी हुटर की अवाज भवन में हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय। भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

15. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
16. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
17. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND,
ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bf786d39b4c8876d
b8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005
, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab2277c7653cba3d
3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09,
st=Jharkhand
Date: 2019.10.11 16:51:41 +05'30'

(श्री बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।